(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

No. F.9-19/2000-U3(A)Pt.1
Government of India
Ministry of Human Resource Development
Department of Higher Education
ICR Division

Shastri Bhawan, New Delhi-01,
Dated the 2nd July, 2018

NOTIFICATION

Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. **And whereas**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-19/2000-U.3 dated 13.04.2006, on the advice of UGC, had declared KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum, Karnataka, comprising (i) Jawaharlal Nehru Medical College, Belgaum and (ii) KLE BK Institute of Dental Sciences, Belgaum, as an institution deemed to be University, for a **period of five years**.

3. **And whereas**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, following institutions were brought under ambit of KLE Academy of Higher Education and Research, Belgaum, by the Central Government vide Notification No.9-19/2000-U.3 dated 20.02.2009 subject to the conditions that all the terms & conditions of conferment of deemed to be university status to KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum shall remain unchanged:

i. KLE Institute of Nursing Sciences, Belgaum;
ii. KLE Institute of Physiotherapy, Belgaum;
iii. KLE Shri B.M.K. Ayurveda Mahavidyalaya, Belgaum;
iv. KLE College of Pharmacy, Belgaum;
v. KLE College of Pharmacy, Hubli;
vi. KLE College of Pharmacy, Bangalore.

4. **And further whereas**, , in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-19/2000-U.3 dated 17.01.2017, on the advice of UGC, extended the status of deemed to be university to KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum for another period of five years i.e. from 13.04.2011 to 12.04.2016 subject to terms & conditions mentioned in earlier Notifications.

5. **And whereas,** the functioning of KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum and all its Constituent Institutions was reviewed by the UGC with the help of Expert Committee during 14-17th February, 2017. The report of the Expert Committee was placed before the Commission in its 522nd meeting (Item No.2.08) held on 28.03.2017. The Commission considered the report and passed the following resolutions:

"Considered and approved with the condition that the suggestions by the visiting Expert Committee, if any, will be addressed within a period of six months and the compliance report would be submitted alongwith documentary proof to UGC."

6. **And further whereas,** after perusal of the report of UGC Expert Committee and certain clarifications provided by the UGC on the report, it was observed that there is no separate & exclusive Society / Trust / Company for managing the deemed to be university contrary to the prevailing Regulations of UGC.

7. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby extend the deemed to be University status to KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum from **13.04.2016 to 12.04.2019** with the following conditions:

i. The Institution shall create a separate & exclusive not-for-profit Society / Trust / Company for managing the deemed to be university.
ii. The Institution shall submit compliance report w.r.t. suggestions / deficiencies pointed out by the UGC Expert Committee.

8. It is clarified that the further extension of deemed to be university shall be given only after compliance of the above conditions. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Rules / Regulations of UGC and other Statutory Councils, issued from time to time, shall continue to be adhered by KLE Academy of Higher Education & Research, Belgaum, Karnataka.

(Sanjay Kumar Sinha)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: 011-23383432

The Manager,
Government of India Press,
Ring Road, Mayapuri,
Delhi – 110064.

Copy forwarded to:-

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi with the request to advice on extension of deemed to be University status to KLE

Academy of Higher Education & Research, Belgaum beyond 12.04.2019 within the expiry period taking into consideration the compliance of the conditions of the Notification.

2. The Vice-Chancellor, KLE Academy of Higher Education & Research, JNMC Campus, Nehru Nagar, Belgaum-590010.
3. The Principal Secretary to the Government of Karnataka, Department of Higher Education, Government of Karnataka Secretariat, MS Buildings, Dr. B. R. Ambedkar Veedi, Bangalore-560001.
4. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
5. The Secretary, Medical Council of India (MCI), Pocket-14, Sector-8, Dwarka Phase-I, New Delhi-110075.
6. The Secretary, Pharmacy Council of India (PCI), Post Box No.7020, Combined Councils' Building, Kotla Road, Aiwa-E-Ghalib Marg, New Delhi-110002.
7. The Secretary, Indian Nursing Council (INC), 8th Floor , NBCC Center, Plot No. 2, Community Center, Okhla Phase-I, Pocket A, Okhla I, Okhla Industrial Area, Delhi.
8. The Under Secretary (ME-P.II), Ministry of Health & Family Welfare, Nirman Bhawan, New Delhi-110011.
9. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
10. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
11. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
12. Guard file / Notification file.

Subrat Pradhan

(Subrat Kumar Pradhan)
Deputy Secretary to the Govt. of India

(भारत के राजपत्र के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

सं.एफ. 9-19/2000-यू.3(ए) भाग-1

भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

आईसीआर प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-01

दिनांक: 02 जुलाई, 2018

अधिसूचना

जबकि, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर अधिगम संस्था को सम-विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि,** केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर दिनांक 13.04.2006 की अधिसूचना सं.9-19/2000-यू3 के जरिए केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम, कर्नाटक, जिसमें (i) जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, बेलगाम और (ii) केएलई बीके इंस्टिट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज, बेलगाम शामिल हैं, को पांच वर्षों की अवधि के लिए सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया था।

3. **और जबकि,** केन्द्र सरकार द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी दिनांक 20.02.2009 की अधिसूचना सं. 9-19/2000-यू.3 के तहत निम्नलिखित संस्थाओं को केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम के अधिकार क्षेत्र में इस शर्त पर लाया गया था कि केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम को प्रदत्त सम-विश्वविद्यालय दर्जा प्रदान किए जाने संबंधी निबंधन एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगाः

i. केएलई इंस्टिट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, बेलगाम;

ii. केएलई इंस्टिट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, बेलगाम;

iii. केएलई श्री बी.एम.के. आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगाम;

iv. केएलई कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बेलगाम;

v. केएलई कॉलेज ऑफ फार्मेसी, हुबली;

vi. केएलई कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बंगलौर

4. **और आगे जबकि,** केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी दिनांक 17.01.2017 की अधिसूचना सं. 9-19/2000-यू.3 के तहत यूजीसी की सलाह पर केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम के सम-विश्वविद्यालय दर्जे को पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन आगे 05 वर्षों अर्थात् 13.04.2011 से 12.04.2016 तक की अवधि के लिए बढ़ा दिया था।

5. **और जबकि,** यूजीसी द्वारा इसकी विशेषज्ञ समिति की सहायता से 14-17 फरवरी, 2017 के दौरान केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम और इसकी घटक संस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा की गई थी। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को 28.03.2017 को आयोजित इसकी 522वीं बैठक (मद संख्या 2.08) में आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आयोग ने रिपोर्ट पर विचार किया और निम्नलिखित संकल्प पारित किया:

"विचार किया गया और इस शर्त के अधीन अनुमोदन किया कि विजिटिंग विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर, यदि कोई हो, छह माह की समयावधि के भीतर कार्रवाई की जाएगी और यूजीसी को दस्तावेजी प्रमाण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।"

6. **और इसके अतिरिक्त जबकि,** यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और यूजीसी द्वारा रिपोर्ट के संबंध में उपलब्ध करवाए गए कतिपय स्पष्टीकरणों के अवलोकन के बाद यह पाया गया कि यूजीसी के मौजूदा विनियमों के अलावा सम-विश्वविद्यालय प्रबंधन के लिए कोई अलग एवं विशेष सोसायटी/न्यास/कंपनी नहीं है।

7. **अतः अब,** केन्द्र सरकार यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर एतद्द्वारा केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम के सम-विश्वविद्यालय दर्जे का 13.04.2016 से 12.04.2019 तक की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन विस्तार करती है:

i. संस्था समविश्वविद्यालय के प्रबंधन के लिए एक अलग एवं विशेष अलाभ अर्जक सोसायटी/न्यास/कंपनी का गठन करेगी।

ii. संस्था यूजीसी विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए सुझावों/बताई गई कमियों के संबंध में अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि सम-विश्वविद्यालय को आगे विस्तार उपर्युक्त शर्तों की अनुपालना के बाद ही दिया जाएगा। केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम, कर्नाटक द्वारा इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना(ओं) में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी नियमों/विनियमों का अनुपालन किया जाएगा।

संजय

(संजय कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलिफोन: 011-23383432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
दिल्ली-110064

<u>प्रतिलिपि अग्रेषितः</u>

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वह अधिसूचना की शर्तों के अनुपालन पर विचार करने के मद्देनजर, यह अवधि समाप्त होने के भीतर केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम के दर्जे को 12.04.2019 के बाद जारी रखने के संबंध में परामर्श दें।
2. कुलपति, केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जेएनएमसी कैम्पस, नेहरू नगर, बेलगाम-590010
3. प्रधान सचिव, कर्नाटक सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार सचिवालय, एमएस बिल्डिंग, डॉ. बी.आर. अंबेडकर वीड़ि, बंगलौर-560001
4. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070.
5. सचिव, भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), पॉकेट-14, सेक्टर-8, द्वारका, फेस-I, नई दिल्ली-110075.
6. सचिव, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई), पोस्ट बॉक्स नं. 7020, कंबाईन्ड काउंसिल्स बिल्डिंग, कोटला रोड, एवॉन-ए-गालिब मार्ग, नई दिल्ली-110002

7. सचिव, भारतीय परिचारिका परिषद (आईएनसी), 8वां तल, एनबीसीसी सेंटर, प्लॉट नं. 2, सामुदायिक केन्द्र, कोटला फेस- I, पॉकेट ए, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।
8. अवर सचिव (एमई-पी. II), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली- 110011.
9. पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
10. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002.
11. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि सीएमआईएस एकक अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करें।
12. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाइल।

(सुब्रत कुमार प्रधान)
उप सचिव, भारत सरकार
टेलिफोन: 011-23383432